निर्णय लोक अदालत न्याय आपके द्वार
श्री के.आर.चौहान सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(RAS)देवगढ़
केम्प कुँआथल

प्र.सं 34/2017 रे.वाद निर्णय दिनांक 31.05.2018

अनवान

1. श्री पन्नासिंह पिता देवीसिंह रावत नि. सुलिया तह.देवगढ़ जि.राजसमंद

.........प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये प्रतिनिधि श्रीमान तहसीलदार तह.देवगढ़ जि राजसमंद

.........विपक्षी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 राज. ले. रे. एक्ट

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प कुँआथल में पेश हुई। पक्षकारान को जारी सम्मन तामील हो शामिल पत्रावली हैं। पत्रावली का अवलोकन किया विवरण संक्षेप में इस प्रकार हैं।

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 ए रा.टी. एक्ट के तहत पेशकर निवेदन किया कि ग्राम सुलिया प.ह. कुँआथल तहसील देवगढ़ में खाता नं. 615/570 के खसरा नं. 5/2 रकबा 1.03 खसरा नं. 5/3 रकबा 9 बीघा खसरा नं. 345/2 रकबा 7.10 कुल किता 3 रकबा 18.03 भूमि होकर स्थित हैं। उक्त आराजियात सामलाती हैं जिनमें वेणा, कुपा, रूपा वना, वरदी पिता देवा का 1/2 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है व मोडा, डालु, रामा, मोहन पिता हेमा 1/2 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड हैं। प्रार्थी के पिता की मृत्यु के विरासत नामान्तरण के बाद प्रार्थी का नाम वना लिख दिया गया जो गलत है। प्रार्थी के अन्य रिकॉर्ड दस्तावेज जिनमें राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र में पन्नासिंह दर्ज हैं। प्रार्थी वास्तव में पन्नासिंह के नाम से ही जाना पहचाना जाता हैं प्रार्थी राजस्व रिकोर्ड में नाम वना हटाया जाकर पन्नासिंह दर्ज किया जाना उचित हैं। उक्त भूमि का गलत इन्द्राज हो जाने से प्रार्थी को भूमि का विक्रय करने व ऋण वगेरा लेने में परेशानी का सामना करना पड़ा रहा हैं।

प्रार्थीगण का प्रार्थना दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को मय नकल प्रार्थना पत्र के सम्मन जारी किये गये। तत्पश्चात प्रकरण राजस्व लोक अदालत कैम्प कुँआथल नियत कर पुनः पक्षकारान को सम्मन जारी किये गए। कैम्प में प्रार्थी उपस्थित हुए। हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व पत्रावली के संलग्न अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया। ग्राम सुलिया प.ह. कुँआथल तहसील देवगढ़ की नकल जमाबंदी सं0 2069 से 2072 में प्रार्थी उक्त वर्णित भूमि का खातेदार हैं।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं। ग्राम सुलिया प.ह. कुँआथल तहसील देवगढ़ में खाता नं. 615/570 के खसरा नं. 5/2 रकबा 1.03 खसरा नं. 5/3 रकबा 9 बीघा खसरा नं. 345/2 रकबा 7.10 कुल किता 3 रकबा 18.03

भूमि में प्रार्थी का दर्ज नाम वना को हटाया जाकर वना के बजाय पन्नासिंह दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 31.05.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प कुँआथल में फैसल सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
देवगढ़ जिला राजसमंद